

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक / 113 / 855 / 2024 / 20-1

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19/08/2024

प्रति,

समस्त कलेक्टर

छत्तीसगढ़

विषय:- शासकीय विद्यालयों के सत्र 2023-24 में बोर्ड कक्षाओं के परीक्षा परिणामों की समीक्षा करने विषयक।

—000—

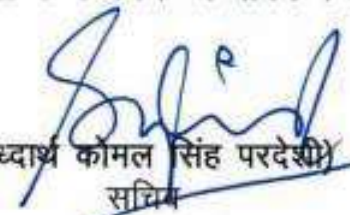
सत्र 2023-24 के कक्षा 10वीं एवं 12वीं वार्षिक बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किये जा चुके हैं। बोर्ड परीक्षा में अधिकांश विद्यालयों ने उत्कृष्ट/बेहतर प्रदर्शन किए हैं, किन्तु कुछ विद्यालयों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। दोनों ही स्थितियों में परीक्षा परीणामों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है, जिससे कि आगामी सत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा/स्तर सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार कर कार्य किया जा सके। इस हेतु आपको कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं बोर्ड के परिणामों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जा रही है जिसमें उन विद्यालयों को क्रम में ऊपर रखा गया जहां अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या/प्रतिशत सर्वाधिक है, जिससे कि प्रथमतः इन विद्यालयों पर फोकस कर कार्य किया जा सके।

2/- कृपया अपने जिले के शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित कर कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणामों की समीक्षा करना सुनिश्चित करें, जिससे कि आपके जिले में, आगामी शिक्षा सत्र में अकादमिक गुणवत्तायुक्त अध्ययन-अध्यापन प्रारंभ हो सकें। समीक्षा हेतु कुछ सुझावात्मक बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. परीक्षा परिणामों की विद्यालयवार/विषयवार/शिक्षकवार समीक्षा की जाये।
2. परीक्षा परिणामों की समीक्षा हेतु परीक्षा परिणाम के आधार पर विद्यालयों को चार स्तर में वर्गीकृत किया जा सकता है :-
 - 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले विद्यालय।
 - 30 प्रतिशत से अधिक एवं 60 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले विद्यालय।
 - 60 प्रतिशत से अधिक एवं 90 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले विद्यालय।
 - 90 प्रतिशत से अधिक परीक्षा परिणाम वाले विद्यालय।
3. 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों के प्राचार्यों तथा विषय शिक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करें। यदि स्पष्टीकरण समाधान कारक हो तो विद्यालय/शिक्षकों के समस्या-समाधान की दिशा में पहल की जावे। यदि स्पष्टीकरण समाधान कारक न हो तो संबंधित प्राचार्य/शिक्षक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करें।
4. जिन विद्यालयों के परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से अधिक एवं 60 प्रतिशत से कम हैं ऐसे प्राचार्यों/शिक्षकों से इसका कारण जानने का प्रयास कर उसका निराकरण करें जिससे कि उनके आगामी परीक्षा परिणाम में सुधार परिलक्षित हों।

5. परीक्षा परिणाम की गुणवत्ता अर्थात् विद्यालयों में मेरिट में आने वाले / प्रथम श्रेणी / द्वितीय श्रेणी / तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर भी समीक्षा की जानी अपेक्षित है तथा समीक्षा उपरान्त उत्तम गुणवत्तायुक्त परीक्षा परिणाम देने वाले प्राचार्यों / शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जावे।
6. जिन प्राचार्यों / शिक्षकों ने अच्छा कार्य किया है उन्हें विशेष अवसर जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, शिक्षक दिवस, राज्योत्सव जैसे कार्यक्रमों में जिला स्तर पर सम्मानित करें।
7. 90 प्रतिशत से अधिक परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों / जिन विद्यालयों में अधिकांश छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुये हो उन विद्यालय / शिक्षकों के द्वारा अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिसेस को अन्य प्राचार्यों / शिक्षकों के साथ साझा करवाया जा सकता है।
8. प्राचार्यों / शिक्षकों के लिये समय-समय पर मोटिवेशनल वर्कशॉप का आयोजन करें।
9. जिन बच्चों के रिजल्ट कम है उनके लिये विशेष शिक्षक-पालक बैठक का आयोजन किये जाने हेतु प्राचार्यों को निर्देशित करें जिसमें पालकों को उनके बच्चों के पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जा सके ताकि बच्चों के रिजल्ट में सकारात्मक वृद्धि हो।
10. इसके अतिरिक्त आप स्वयं भी अपने स्तर पर समीक्षा के बिन्दु निर्धारित कर सकते हैं।

3/- मुझे विश्वास है कि आप इसकी समीक्षा गम्भीरता से करेंगे। निश्चित ही आपके द्वारा बैठक आहूत कर की गई समीक्षा से बेहतर परीक्षा परिणामों के प्रति आपके जिले के प्राचार्यों / शिक्षकों / पालकों एवं विद्यार्थियों में सजगता आएगी तथा वे अध्ययन-अध्यापन के प्रति संकल्पित होंगे।


 (सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी)
 सचिव
 छ.ग. शासन
 स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक / 114 / 855 / 2024 / 20-1

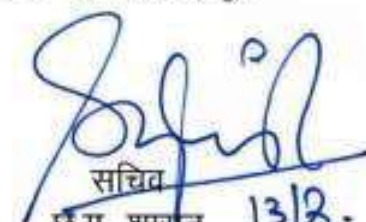
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13/08/2024

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा छ.ग. रायपुर।
4. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
5. आयुक्त, समस्त संभाग, छत्तीसगढ़।
6. संयुक्त संचालक (शिक्षा संभाग) छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8. गार्ड फाईल।


 सचिव
 छ.ग. शासन 13/8.
 स्कूल शिक्षा विभाग